



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1095]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 8, 2012/ज्येष्ठ 18, 1934

No. 1095]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 8, 2012/JYAISTHA 18, 1934

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 2012

का.आ. 1315(अ).—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पशु केंसिंग, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1997 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पशु केंसिंग निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 2012 है ।

2. पशु केंसिंग के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1997 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 2 के भाग I में,

(i) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(ख) 'अभिकरण' से अधिनियम की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित या मान्यता प्राप्त कोई निर्यात निरीक्षण अभिकरण अभिप्रेत है,

(ii) खंड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा अर्थात् :-

(छ) 'सक्षम प्राधिकरण' से अधिनियम की धारा 7 के अधीन स्थापित निर्यात निरीक्षण अभिकरणों अभिप्रेत है ;

(iii) खंड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा अर्थात् :-

(ज) "आंत" से पशु की श्वासनली या ग्रसिका या छोटी और बड़ी आंत अभिप्रेत हैं ।

(iv) खंड (त) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा अर्थात् :-

(1) "अनुमोदित स्थापन" से कोई भी परिसर जहाँ पशु केसिंग तैयार, संसाधित, पैक या भंडारण किया जाता है, अभिप्रेत है ;

(v) खंड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

(द) "सक्षम कार्मिक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका यह उत्तरदायित्व होगा कि वह स्थापन में सभी आवश्यक उपाय करेंगे जिनसे पशु केसिंग उत्पादन की सभी अवस्थाओं में अपेक्षाओं की पूर्ति हो ;

3. मूल नियमों के, भाग 1 में, नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

" 3. (1) स्थापन में यह सुनिश्चित करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व होगा कि निर्यात के लिए आशयित पशु केसिंग का स्वास्थ्यकर दशाओं के अधीन उत्पादन, भण्डारण और परिवहन के सभी स्तरों पर हथालन और संसाधित किया गया है जो इन नियमों के अधीन अधिकथित स्वास्थ्य अपेक्षाओं को पूरा करती है और उत्पादन अधिनियम की धारा 6 के अधीन निर्धारित केन्द्रीय सरकार द्वारा आदेश में दिए गए विनिर्देशों के अनुरूप होने की पुष्टि करता है ।

(2) यूरोपियन संघ को निर्यात के लिए, नियमित मानीटरिंग द्वारा सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि स्थापन में खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली आधारित आवश्यकताओं का नियमानुसार अनुपालन किया जा रहा है ।

(3) यूरोपियन संघ से इतर देशों को निर्यात हेतु परेषणावार निरीक्षण के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक परेषण में केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित मानक मापदंडों का पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है। यूरोपियन संघ से इतर देशों को जो प्रसंस्करणकर्ता निर्यात करते हैं वे अनुकल्प के तौर पर खाद्य सुरक्षा आधारित प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत अपने स्थापन को अनुमोदित करवाने का विकल्प चुन सकते हैं ।

(4) योजना की प्रभावी मानीटरिंग के लिए इस संबंध में निर्यात निरीक्षण परिषद आवश्यक निर्देश जारी करेगी ।"

4. मूल नियमों के भाग- 1 के नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

" 5. (1) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के द्वारा वाणिज्यिक और पर्यावरण संरक्षण उपायों से संबंधित समय-समय पर जो कानूनी निर्बन्धनों को लगाया गया है, उनका सतत कड़ाई से पालन किया जाएगा।

(2) अनुमोदित स्थापन यह सुनिश्चित करेगा कि उनके सक्षम प्राधिकारी पशु केसिंग की उत्पादन की सभी अवस्थाओं में अधिसूचना में दी गयी अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रहे हैं । उक्त व्यक्ति निम्नलिखित अपेक्षाओं पर आधारित स्वयं जाँच-पड़ताल भी करें, अर्थात् :-

(क) अपने स्थापनों में उपयोग की गयी विनिर्माण प्रक्रिया आधारित संबंधी जटिल बिन्दुओं का चिन्हीकरण,

(ख) ऐसे जटिल बिन्दुओं की मानीटरिंग और जाँच प्रक्रिया की स्थापना और कार्यान्वयन होता हो,

(ग) साफ करने और कीटाणुरहित करने की प्रक्रिया की जाँच पड़ताल के लिए तथा इस अधिसूचना की तथा आयातकर्ता देशों की अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए प्रयुक्त जो तरीका अपनाया गया हो उसके अनुसार सक्षम प्राधिकारी के प्रतिनिधि के माध्यम से जाँच के लिए परिषद अनुमोदित प्रयोगशाला में विश्लेषण नमूने लिए जाएं,

(घ) एक लेखा रजिस्टर में न मिट सकने वाला लिखित अभिलेख रखा जाए, जो पूर्व वर्णित बिन्दुओं सहित सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की दृष्टि से और विभिन्न जाँच पड़ताल और परीक्षणों का अभिलेख कम से कम दो वर्षों के लिए रखा जाएगा,

(3) यदि अपने जाँच परिणाम या कोई सूचना जो किसी उपरोक्त निर्दिष्ट व्यक्ति जो कि उसके लिए जिम्मेदार है और स्वास्थ्य के जोखिम को बताने में सक्षम है या उसके होने के विषय में संभावना व्यक्त कर सकता है, समुचित मान्यता प्राप्त उपायों को सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अधिकारिक पर्यवेक्षण में लिया जाएगा।

(4) सक्षम प्राधिकारी उन स्थापनों का अनुमोदन या नवीनीकरण करेगा जिनके बारे में वह संतुष्ट होगा कि यह स्थापन के कार्यों के प्रकार को ध्यान में रखकर उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं या फिर कोई और कार्य जो कि अनुमोदित कार्यों के अतिरिक्त है तो उनके लिए विनिर्दिष्ट अनुमोदन इस कार्य के लिए सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करना होगा।

(5) सक्षम प्राधिकारी स्थापन के अनुमोदन या नवीनीकरण के लिए कृषि मंत्रालय राज्य या केन्द्रीय स्तर पर और या भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के प्रतिनिधियों की सहायता ले सकता है।

(6) यदि अनुमोदन या नवीनीकरण से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक उपाय किए जाएंगे।

(7) निर्यात निरीक्षण अभिकरण अनुमोदित स्थापनों की एक सूची बनाएगा जिसमें प्रत्येक का एक प्राधिकृत नम्बर होगा और एक अधिसूचना अपने अनुमोदित स्थापनों की सूची से समुचित प्राधिकारियों और पश्चातवर्ती परिवर्तनों की जारी होगी।

(8) स्थापन का निरीक्षण और मानीटरिंग को मान्यता प्राप्त सक्षम प्राधिकरण द्वारा नियमित रूप से किया जाएगा और उसे सक्षम प्राधिकारी को किसी भी समय स्थापन के लिए भी भाग में अधिसूचना को लागू करने के संबंध में जाने और अभिलेख देखने की स्वतंत्रता होगी।

(9) निर्यातक या प्रसंस्करणकर्ता के आवेदन पर सक्षम प्राधिकारी सुसंगत मानकों के आवश्यकता के अनुरूप स्वयं संतुष्ट होने पर प्रमाणपत्र जारी करेगा।

5. मूल नियम के भाग- 1 में नियम 6 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्

"(1) आवेदन के प्राप्त होने पर, जब अभिकरण संतुष्टि होगी कि उपरोक्त संदर्भ में निरीक्षण नियमानुसार किया गया है पशु केसिंग परेषण संसाधन और पैकिंग विनिर्दिष्ट रूप में है तब पशु स्वास्थ्य का प्रमाणपत्र जैसा कि अनुसूची/प्रपत्र में दिया गया है के अनुसार अभिकरण के लिए पर्यवेक्षण, निरीक्षण और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना विधिपूर्ण होगा,

(2) उपनियम- (1) में निर्दिष्ट स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी करने के लिए रुपए पाँच सौ की राशि संग्रहित की जाएगी।

(3) जहाँ पर अभिकरण का ऐसा समाधान नहीं होता है, वह स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार कर सकता है और ऐसे इंकार के कारणों सहित लिखित सूचना परेषण के निरीक्षण के तत्काल बाद निर्यातक को दी जाएगी।

(4) सुखे पशु केसिंग की स्वास्थ्य प्रमाणपत्र की वैधता अधिकतम 90 दिन और नमक लगे पशु केसिंग की 45 दिनों की होगी जैसाकि आयातक द्वारा निर्धारित किया गया हो, या जो भी पहले लागू हो।

(5) यदि परेषण को वैद्य प्रमाणपत्र अवधि के दौरान नहीं भेजा गया, निर्यातक को यह अनुमति होगी कि वह प्रमाणपत्र को पुनः वैधता प्रदान करने के लिए प्रस्तुत कर सके। ऐसे मामलों में सुखे पशु केसिंग के लिए 45 दिन और नमक लगे पशु केसिंग के लिए वैधता होगी जो अंतिम तिथि भिजवाने के लिए आयातक द्वारा निर्धारित की गयी है। और

(6) प्रमाणपत्र की डुप्लीकेट प्रति पाँच सौ रुपए के भुगतान पर जारी की जाएगी और यह घोषणा भी की जाएगी कि प्रमाणपत्र खो गया है या खराब हो गया था। यदि मूल प्रमाणपत्र मिल जाएगा तो उसे लौटा दिया जाएगा और डुप्लीकेट प्रमाणपत्र की वैधता मूल प्रमाणपत्र जैसी ही रहेगी।

6. मूल नियम के भाग- 1 में नियम 7 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्

7. (1) स्थापन के अनुमोदन या नवीनीकरण के आवेदन के साथ पाँच हजार रुपए का शुल्क स्थापन द्वारा और नियम 5 के उपनियम (4) के अनुसार किए गए प्रावधानों के लिए मानीटरिंग शुल्क प्रत्येक परेषण के लिए 0.2 प्रतिशत की दर से एफ ओ बी मूल्य की दर से या दो हजार रुपए जो अधिक हो निर्यात निरीक्षण अभिकरण को शुल्क संदत्त किया जायेगा ।

(2) परेषणावार निरीक्षण के मामले में 0.4 प्रतिशत निरीक्षण शुल्क एफओबी मूल्य की दर से या दो हजार रुपए जो भी अधिक हो का संदाय परेषण के लिए किया जाएगा।

टिप्पणः प्रत्येक परेषण के लिये संदेय फीस संसाधक द्वारा देय होगी की रकम को रुपए के निकटतम तक पूर्णांकित किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिये जहां ऐसी राशि में रुपए का भाग सम्मिलित है वहां यदि ऐसा भाग 50 पैसे या अधिक है तो इसमें एक रुपए की वृद्धि कर दी जाएगी और यदि ऐसा भाग 50 पैसे से कम है तो इसे छोड़ दिया जायेगा ।

7. मूल नियमों के भाग- 2 में नियम 2 नियम 3 नियम 4 नियम 5 नियम 6 और नियम 7 का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 2/95/2011-निर्यात निरीक्षण]

डी. एस. देसी, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक का0आ0 2948 तारीख 3 नवम्बर, 1997 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th June, 2012

S.O. 1315(E).—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Animal Casings (Quality Control and Inspection) Rules, 1997, namely: -

1. These rules may be called the Export of Animal Casings (Quality Control and Inspection) Amendment Rules, 2012.

2. In the Export of Animal Casings (Quality Control and Inspection) Rules, 1997, (hereinafter referred to as the principal rules) in Part I, in rule 2, -

(i) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely: -

“(b) “Agency” means any of the Export Inspection Agencies established or recognized by the Central Government under Section 7 of the Act;”;

(ii) for clause (g), the following clause shall be substituted, namely: -

“(g) “Competent Authority” means Export Inspection Agencies established under section 7 of the Act;”;

(iii) for clause (h), the following clause shall be substituted namely: -

“(h) “Intestines” means small and large intestines or gullet or weasand of an animal;”;

(iv) after clause (k), the following clause shall be inserted, namely: -

“(l) “approved establishment” means any premises where animal casings are prepared, processed, packed or stored;”;

(v) after clause (l), the following clause shall be inserted, namely: -

“(m) “competent personal” means the person responsible for the establishment to take all necessary measures so that at all stages of

2074 GI/12-2

production of animal casings, the specification are compiled with, as per the national and importing country's requirements;";

3. In the principal rules, in Part I, for rule 3, following rule shall be substituted, namely:-

"3. (1) "The primary responsibility of the "establishment is to ensure that the Animal Casings intended for export are handled, processed at all stages of production storage and transport under proper hygienic conditions so as to meet the health requirements laid down under these rules and that the products conform to the specifications given in the order by the Central Government under section 6 of the Act.

(2) For export to European Union, the Competent Authority shall ensure that the establishment comply with the requirements, based on the food safety based management system, by regular monitoring of the establishment as per the rules.

(3) For export to Non-European Union countries, Competent Authority shall ensure that every consignment conforms to the standards specifications recognised by the Central Government, by undertaking the consignment-wise inspection and alternatively processor exporting to Non-European Countries shall have an option for getting their establishment approved under food safety based management system.

(4) For effective monitoring of the scheme, the Export Inspection Council shall issue necessary instructions in this regard."

4. In the principle rules, in Part I, for rule 5, the following rule shall be substituted, namely:-

"5. (1) Any statutory restrictions imposed by Central Government or any State Government with respect to commercial and environmental conservation measures from time to time shall strictly be adhered to.

(2) The approved establishment shall ensure that the competent personal responsible for the establishment to take all necessary measures so that all stages of production of animal casings that notification are complied with and the said persons must carry out their own checks based on the following requirements, namely:-

- (a) identification of critical points in their establishment on the basis of the manufacturing process used;
- (b) establishment and implementation of methods for monitoring and checking such critical points;
- (c) taking samples through the representative of Competent Authority (CA) for analysis in a Council approved laboratory for the purpose of checking the cleaning and dis-infection method and for the purpose of checking compliance with the requirements in this notification and other importing countries requirements;

(d) keeping a written record or record register in indelible fashion of the preceding points with a view to submitting them to the Competent Authority and the result of the different checks and tests will in particular be kept for a period of at least two years."

(3) If the result of own checks or any information at the disposal of the persons responsible referred to above reveal the risk of health or suggest that one might exist, appropriate measures shall be taken under official supervision of the recognised Competent Authority.

(4) The Competent Authority shall accord approval or renewal to such establishment if it is satisfied that such establishment meet the requirements with regard to nature of activities they carry out and if the establishments decide to carry out activities other than those for which it has received, in such cases the specific approval from the Competent Authority shall be obtained for that purpose.

(5) The Competent Authority may take the assistance of representatives from the Ministry of Agriculture at State or Central level and or Food Safety and Standards Authority of India in the matter of approval and or renewal of establishment.

(6) The Competent Authority shall take necessary measures if the requirements related to approval or renewal of approval cease to be met.

(7) The Export Inspection Agency shall draw up a list of the approved establishments each of which shall have an official number and shall notify appropriate authorities of its list of approved establishment and any subsequent change thereof.

(8) The inspection and monitoring of establishments shall be carried out regularly under the responsibility of the recognized Competent Authority which shall at all times have free access to all parts of the establishment and records pertaining to application of this notification.

(9) The Competent Authority shall issue certificates on request from the exporter or processor after satisfying itself that the requirements of the relevant standard are fulfilled."

5. In the principal rules, in Part I, for rule 6, the following rule shall be substituted, namely:-

"(1) On receipt of the application, the agency, on satisfying itself on the basis of inspection carried out as referred above that the consignment of Animal Casings has been processed and packed according to the specification applicable to it, shall issue Animal Health Certificate in the proforma laid down in the Schedule VII and it shall be lawful for the agency to supervise, oversee and secure compliance of these rules;

- (2) There shall be collected an amount of five hundred rupees towards the issue of the Health Certificate referred to in sub-rule(1);
- (3) Where the agency is not satisfied, it shall refuse to issue the Health Certificate and such refusal alongwith the reasons thereof shall be communicated in writing to the exporter immediately after inspection of the consignment;
- (4) The Animal Health Certificate shall be valid for a maximum period of 90 days in the case of dried animal casings or 45 days in the case of salted animal casings or as prescribed by the importer, whichever is earlier;
- (5) If the consignment is not shipped within the period of validity of the certificate, the exporter shall be permitted to present the Certificate for revalidation. In such a case, the validity shall be extended for a further period of 45 days in the case of direct animal casings or 15 days in the case of salted animal casings or upto the last shipment date prescribed by the importer; and
- (6) A duplicate certificate may be issued on payment of five hundred rupees and furnishing a declaration that the certificate was lost or mutilated and if the original certificate is found it will be returned and the validity of the duplicate certificate will be same as that of the original.”.
6. In the principal rules, in Part I, for rule 7, the following rule shall be substituted, namely,
- 7 (1) A fee of five thousand rupees shall be paid by the establishment along with the application for approval or renewal of the establishment in accordance with the provisions of sub-rule (4) of rule 5 and monitoring fee at the rate of 0.2 percent. of free on board value of exports or an amount of two thousand rupees whichever is higher shall be paid by the establishment, to the Export Inspection Agency.

(2) In case of consignment wise inspection the inspection fee shall be at the rate of 0.4 percent. of the free on board value or an amount of two thousand rupees whichever is higher.

Note: The amount of monitoring fee for each consignment paid by the processor shall be rounded off to the nearest rupee and, for this purpose, where such amount contains a part of a rupee consisting of paise, then, if such part is fifty paise or more, it shall be increased to one rupee and if each part is less than fifty paise, it shall be ignored.

7. In the principal rules, in Part II, the rules 2, 3, 4, 5, 6, and 7 shall be omitted.

[F. No. 2/95/2011-Export Inspection]

D.S. DHESI, Jt. Secy.

Note : —The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* notification number S.O. 2948, dated the 3rd November, 1997.